

(ख) यदि हां, तो फिलहाल देश में कुल कितने रुग्ण उद्योग हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने पिछले कई वर्षों के दौरान इस रुग्णता के कारणों की पहचान करने तथा उसे ठीक करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने के हेतु अनेक समितियों का गठन किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इन समितियों का गठन कब किया गया था तथा इनकी मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं और सरकार द्वारा उक्त सिफारिशों के आधार पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही) : (क) और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, 1989 और 1990 में लघु क्षेत्र और गैर-लघु क्षेत्र में रुग्णता की स्थिति इस प्रकार थी :—

सितंबर, सितम्बर,
1989 1990

गैर लघु औद्योगिक रुग्ण
एककों की संख्या 1,419 1,467

रुग्ण लघु औद्योगिक एककों
की संख्या 1,86,441 2,25,324

(ग) औद्योगिक रुग्णता के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक 1981 से तीन समितियाँ नियुक्त कर चुका है।

(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण एककों के पुनर्वासि से संबंधित मुख्य बाधाओं तथा संबंधित बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के सामने आ रही समस्याओं का अध्ययन करने और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने आदि के लिए 1981 में एक समिति नियुक्त की थी। उक्त समिति ने रुग्णता की समस्याओं से निपटने के लिए एक व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की थी। रुग्ण तथा सम्भावित रूप से रुग्ण

औद्योगिक कंपनियों का समय पर पता लगाने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 बनाया गया था तथा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड स्थापित किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की पहचान व पुनर्वासि की समस्याओं पर विचार करने के लिए फरवरी 1986 में एक और समिति नियुक्त की थी। समिति ने 31.10.1986 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उक्त समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रारंभिक रुग्णता, रुग्ण एककों की परिभाषा, राहत तथा रियायतों के लिए मानदंडों से संबंधित थी। इन सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी, 1987 में बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे। ये मार्गदर्शी सिद्धांत जून, 1989, जनवरी, 1991 और जुलाई, 1992 में पुनरीक्षित/संशोधित किए गए थे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के पुनर्वासि पर विचार करने के लिए हाल में दिसंबर, 1991 में एक और समिति नियुक्त की है।

**आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान
औद्योगिक उत्पादन की दर**

4725. श्री बीरेन जे. शाह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत निर्धारित की गई जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य 8.5 प्रतिशत था ;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य कम निर्धारित करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है और यह राशि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ निर्धारित राशि से कितनी कम अथवा अधिक है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा शाही):

(क) योजना आयोग के अनुसार सातवीं योजना में विनिर्माण क्षेत्र के लिए अनुमानित विकास दर "सकल बर्धित मूल्य के अनुसार 7.3 प्रतिशत वार्षिक है जब कि सातवीं योजना में औसत विकास दर 6.7 प्रतिशत थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक तथा खनिज कार्यक्रमों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित कुल परिव्यय 40,911 करोड़ रुपये है जिसमें से केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 35,150 करोड़ रु० है और शेष 5761 करोड़ रु० राज्य क्षेत्र के लिए है। इसकी तुलना में, सातवीं योजना में 19,708 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रावधान था जिसमें म केन्द्रीय क्षेत्र (जिसमें कोयला तथा पेट्रोलियम जो ऊर्जा क्षेत्र का भाग है) के लिए 17268 करोड़ रु० थे तथा शेष 2440 करोड़ रु० राज्य तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजनाओं के लिए थे।

Exclusive Agency for Small Scale Industries

4726. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Small Scale Industries has called upon the Government to establish an exclusive agency for the Small Scale Industries sector at State level to look into the credit needs of the small units;

(b) if so, the reaction of Government in this regard; and

(c) the other steps Government propose to take to assist the Small Scale Industries in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES) AND THE MIN-

ISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. J. KURIEN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) the steps to assist Small Scale Industries have been outlined in the policy package announced, by the Government on 6-8-1991.

Diversion of funds by TAFCO

4727. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Tannery and Footwear Corporation of India Limited, Kanpur has been diverting funds from the wages of workers to pay off the raw hide suppliers etc.-

(b) whether Government's attention has been drawn to the newsitem which appeared in the Swatantra Bharat, Kanpur dated 30th July, 1992 under the caption "Vyapariyo Ko Shramiko ke Betan Se Paise Dega Tafco";

(c) whether Government have received a number of representations against such action from workers unions;

(d) whether any step has been taken to prevent the above decision from being implemented- and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (SHRI P. K. THUNGON): (a) TAFCO deploys its scarce financial resources according to its organisational exigencies.

(b) and (c) Yes, Sir.

(d) and (e) The amount of Rs. 1 crore released by Government has already been disbursed to the raw hide suppliers.